मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 22.08.2026

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 22.08.2026

थाना सन्तनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 चोर गिरफ्तार, चोरी की 05 अदद बैटरी बरामद —

थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 17.07.2026 को वादी मुनेश्वर सुमन पुत्र लालमनि निवासी तुलसीपुर थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध ग्राम सचिवालय में लगे बैटरी व इन्वर्टर चोरी के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0-77/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत की गयी। इसी क्रम में दिनांक 21.07.2026 को वादी सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रशासक प्रतिनिधि ग्राम मलुआ थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात के विरूद्ध ग्राम पंचायत भवन से बैटरी, इन्वर्टर व डीवीआर आदि चोरी के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0- 79/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ कर दी गयी।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी के माल की बरामदगी कराने हेतु थाना प्रभारी सन्तनगर को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना सन्तनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना के अनावरण हेतु भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 22.08.2026 को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. कमलेश चौहान पुत्र बिरजू चौहान निवासी राहकलां थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर व 2. प्रदुम्न बिन्द पुत्र स्व0 रामनरेश बिन्द निवासी घाटमपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 305,331(4),317(2),317(4) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गयी 05 अदद बैटरी बरामद किया गया। थाना सन्तनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. कमलेश चौहान पुत्र बिरजू चौहान निवासी राहकलां थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. प्रदुम्न बिन्द पुत्र स्व0 रामनरेश बिन्द निवासी घाटमपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 24 वर्ष।

विवरण बरामदगी — 05 अदद बैटरी बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-190/2026 धारा 305,331(4),317(2),317(4) बीएनएस थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

उप निरीक्षक रामकृपाल यादव मय पुलिस टीम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

उत्तर प्रदेश पुलिस